न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/4755/2012/भीलवाड़ा

1– जगदीश पुत्र गणेश माली निवासी जीवार तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा।

------ अपीलांट

बनाम

1– श्रीमती कमला पत्नी बंशी
2– नौरत पुत्र बंशी
3– मुकेश पुत्र बंशी
4– कैलाश पुत्र बंशी
5– पुष्पा पुत्री बंशी
6– शांति पुत्री बंशी
7– गुडडी पुत्री बंशी
8– श्रीमती सोनू पुत्र बंशी नाबालिग जरिये प्राकृतिक माता श्रीमती कमला बेवा बंशी, समस्त जाति लुहार, निवासी जगपुरा तहसील असीन्द, जिला भीलवाड़ा
9– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आसीन्द

-------- रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर

उपस्थित
(1) श्री अजीत सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलांट।
(2) रेस्पो0 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक :– 09.07.2024**

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 224, के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा की अपील संख्या 274/2011 में पारित निर्णय व डिक्री

अपील डिक्री/टीए/4755/2012/भीलवाड़ा
जगदीश बनाम कमला

दिनांक 30–05–2012 बउनवानी कमला बनाम जगदीश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), आसीन्द के समक्ष एक वाद धारा 88, 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि बंशी लुहार की आराजी 0.28 है0 के उत्तरी दिशा की ओर है। सैटलमेंट विभाग की उक्त कार्यवाही अवैध व नाजायज होने से 0.28 है0 आराजी को प्रतिवादीगण के वली बंशी के खाते में से कम की जाकर वादी के खाते में दर्ज करने का अनुतोष चाहा। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया लेकिन प्रतिवादीगण गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04–08–2011 से दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा जीवार की आराजी खसरा नं0 279/864 रकबा 0.50 है0 में से 0.28 है0 भूमि कम की जाकर वादी जगदीश पिता गणेश माली के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। इस निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–05–2012 से अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–08–2011 को निरस्त कर दी। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 30–05–2012 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– अपील पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रिकॉर्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत्

2037 से 2040 के अनुसार आराजी खसरा नं0 180/1 रकबा 27.09 बीघा में से 5 बीघा भूमि जगदीश पुत्र गणेश माली वादी के नाम दर्ज होना सिद्ध है एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खसरा पत्र सम्वत् 2042 के अनुसार खसरा नं0 180 मिन रकबा 5 बीघा के नये नंबर 279/864 रकबा 0.50 है0 भूमि मुर्तिब किया जाना भी सिद्ध है तथा खसरा नं0 279/865 रकबा 0.80 है0 जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 के अनुसार वादी के नाम दर्ज किया जाना भी सिद्ध है। इस प्रकार रस्पो0 के पूर्वज श्री बंशीलाल के नाम पूर्व रिकॉर्ड के मुताबिक वादी के खातेदारी की भूमि में से 0.28 है0 भूमि दर्ज किया जाना सिद्ध था। इसी कारण विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया गया लेकिन विद्वान अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी तरीके से रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अपील गलत स्वीकार कर ली। विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा यह कथन किया गया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी नोटिस उन्हें कभी तामिल नहीं हुये एवं बिना नोटिस तामिल करवाये भी एकतरफा में डिक्री जारी कर दी गयी। ऐसी स्थिति में विद्वान अपीलीय न्यायालय अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते। विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा मयाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई जिसमें मियाद के संबंध में कोई संतोषप्रद कारण भी अंकित नहीं किये। इसके बावजूद भी अपील अन्दर मियाद गलत स्वीकार कर ली तथा न ही प्रतिवादीगण को नोटिस तामिल नहीं होना भी सिद्ध किया गया था। अन्त में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–05–2012 अपास्त किया जाकर विद्वान परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–08–2011 यथावत् रखी जावें।

5– हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

6– विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), आसीन्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–08–2011 में अंकित किया है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा जीवार की आराजी खसरा नं0 279/864 रकबा 0.50 है0 में से 0.28 है0 भूमि कम की जाकर वादी जगदीश पिता गणेश माली के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

7– विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–05–2012 में अंकित किया है कि अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–08–2011 को निरस्त की जाती है।

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान अपीलार्थी ने विद्वान परीक्षण न्यायालय में वादी द्वारा पेश जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 मौजा जीवार तहसील आसीन्द के अनुसार आराजी नंबर 180/1 रकबा 27–09 बीघा में से 5–00 बीघा भूमि जगदीश पिता गणेश माली के नाम दर्ज करना प्रकट होता है। प्रदर्श–4 भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक 2042 मौजा जीवार के अनुसार आ0नं0 180 मी. रकबा 5–00 बीघा के नये नंबर 279/864 रकबा 0–50 है0 बनाये गये हैं। हाल जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 प्रदर्श–2 मौजा जीवार के अनुसार हाल आराजी नंबर 279/864 रकबा 0–80 है0 भूमि अन्य आराजी के साथ जगदीश पिता गणेश माली के नाम दर्ज रिकॉर्ड होना तथा जमाबन्दी के अनुसार हाल आराजी नंबर 279/864 रकबा 0–50 है0 भूमि बंशीलाल लुहार के नाम दर्ज होना प्रकट होता है। वादी का कथन है कि उसको आवंटित 5–00 बीघा भूमि के मुकाबले सैटलमेन्ट विभाग के द्वारा 0–80 है0 भूमि ही खाते में दर्ज की गई, शेष 0–28 है0 भूमि प्रतिवादीगण के वली बंशी लुहार के खाते में मिला दी गई।

यह स्पष्ट है कि वादी को साबिक आराजी नंबर 180 में रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी तथा मिलान खसरा प्रदर्श–4 के अनुसार उसके हाल आराजी नंबर 279/865 रकबा 0–80 है0 ही बने हैं। वादी का यह कथन कि उसको साबिक 5 बीघा भूमि की ऐवज में वर्तमान में 1–08 है0 भूमि मिलनी चाहिए थी जिसमें से सिर्फ 0–80 है0 भूमि ही

मिली है तथा शेष 0–28 है0 भूमि प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है। यह कथन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है। मिलान खसरा प्रदर्श–4 से स्पष्ट है कि बंशी पिता गंगाराम लुहार जो कि अपीलार्थीगण के पिता/पति है का नाम भी मिलान खसरा के कॉलम नं0 23 में गैर खातेदार की हैसियत से दर्ज है तथा उक्त रकबा जरिये नामान्तरकरण सं0 194 दिनांक 15–02–1983 द्वारा प्राप्त हुआ है जिसके नये नंबर 279/864 रकबा 0–50 है0 बने हैं, जिससे वादी के कथन की पुष्टि नहीं होती है। जिससे स्पष्ट है विद्वान परीक्षण न्यायालय का निर्णय उचित नहीं है।

9– विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि हाल आराजी नंबर 279/864 रकबा 0–50 है0 वर्तमान प्रत्यर्थीगण/ अपीलार्थीगण के खातेदारी अधिकारों में ही सिद्ध होता है तथा इसमें वादी का कोई रकबा शामिल होना सिद्ध नहीं होता। इसके विपरीत विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादी का कथन है कि उसको आवंटित भूमि 5–00 के मुकाबले सैटलमेन्ट विभाग के द्वारा 0–80 है0 भूमि ही खाते में दर्ज की गई, शेष 0–28 है0 भूमि प्रतिवादीगण के वली बंशी लुहार के खाते में मिला दी गई।

10– विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया कि प्रतिवादी के खाते की भूमि रकबा 2 बीघा जो कि भू–प्रबन्ध के पहले से ही उसके खातेदारी में थी। उसमें वादी को कोई भी रकबा लेने का अधिकार नहीं था। वादी द्वारा इस तरह का कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय का उक्त निष्कर्ष उचित नहीं है क्योंकि पत्रावली में भूमि जो पुराने नंबरान तथा कमी–बेशी रकबे के बारे में कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं है। प्रकरण में किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमिधारी तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई जबकि जब आराजी के नये व पुराने नंबरान तथा रकबा कमी/बेशी का विवाद विद्यमान था, तो प्रकरण के निस्तारण के लिए यह उचित होता है कि भूमिधारी तहसीलदार से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट लेकर निष्कर्ष पारित किया जाता।

11– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं

अपील डिकी/टीए/4755/2012/भीलवाड़ा
जगदीश बनाम कमला

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 30–05–2012 व विद्वान सहायक कलक्टर (एसडीओ) आसीन्द का निर्णय दिनांक 04–08–2011 निरस्त किये जाकर प्रकरण विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) आसीन्द को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में संबंधित तहसीलदार से राजस्व अभिलेखों से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जाकर उभयपक्ष को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें।

12– उभयपक्ष विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) आसीन्द के न्यायालय में दिनांक 27–07–2024 को पेश हो।

13– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य